न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—3/2015 (2015/00003) वाद पत्र

उनवान

1—गोपाललाल पिता गहरीलाल शर्मा निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1—चन्दादेवी पत्नि वेदराज पोखरणा निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—पुष्पादेवी पत्नि शान्तिलाल पोखरणा निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—वेदराज पिता बसंतीलाल पोखरणा निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—शान्तिलाल पिता चान्दमल पोखरणा निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित
1. जाकिर हुसैन — वादी अधिवक्ता
2. पर्वत सिंह — प्रतिवादी अधिवक्ता

निर्णय दिनांक—01.06.2022

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम मोखुन्दा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में साबिक आराजी संख्या 733/3 रकबा 3 बीघा भूमि लाडु पिता दल्ला कलाल के खातेदारी अधिकारो एवं स्वामित्व की स्थित है। प्रमाण जमाबन्दी संवत 2044 से 2047 की एवं नक्शा ट्रेस पेश की है। उक्त वर्णित आराजियात को लाडु कलाल को दिनांक 04.10.1972 को आवटिंत की गई तब से उक्त कृषि आराजियात पर लाडु कलाल साबिक नक्शे के मुताबिक जहां कब्जा सिपूर्द किया वही पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। साबिक नक्शे में साबिक आराजी संख्या 733/3 रकबा तीन बीघा भूमि साबिक आराजी संख्या 737 के उत्तर में साबिक आराजी संख्या 733/2 के पश्चिम में, तथा साबिक आराजी संख्या 733/4 के पूर्व में ग्राम आसूणा की सरहद से लगती हुई पंचकोणीय आकृति के रूप में दर्ज थी। ग्राम मोखुन्दा में भूप्रबंध होने से वादपत्र की कलम संख्या एक में अंकित साबिक आराजी संख्या 733/3 रकबा तीन बीघा के नवीन नम्बर 933 रकबा 0.65 हैक्ट. साबिक आराजी संख्या 733/2 रकबा तीन बीघा के नये नम्बर 934 रकबा 0.65 हैक्ट. कायम किए गए प्रमाण में वर्तमान जमाबंदी मिलान क्षेत्रफल एवं नवीन नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति वादपत्र के साथ पेश की हैं। नवीन आ.सं. 933 रकबा [illegible] दार से वादी ने जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के क्रय कर कब्जा प्राप्त किया व [illegible] 07.2012 को नामान्तकरण भी वादी के नाम दर्ज हो गया तब से वादी [illegible] काबि[illegible] कर काश्त करता चला आ रहा है वादी का कब्जा मौके पर साबिक नक्शे के मुताबिक ग्राम आसूणा की सरहद से [illegible] हुआ चला आ रहा हैं। नवीन आ.सं. 934 को वर्तमान खातेदार से [illegible] वादी संख्या एक व [illegible] क्रय कर लिया है तथा मौके पर उनका कब्जा साबिक नक्शे के मुताबिक वादी की भूमि के पूर्व दिशा में चला आ

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.07.30 11:48:53 IST
Reason: SelfAttested

रहा हैं। भूप्रबंध विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भूप्रबंध के दौरान वादी की नवीन आ.स. 933 व प्रतिवादी संख्या एक से दो की नवीन आ. सं. 934 का रकबा तो सही कायम किया परंतु नवीन नक्शा कायम करते समय बिना किसी विधिक आदेश एवं अधिकार के वादी की आ.स. 933 को साबिक नक्शे एवं मौके की स्थिति के विपरीत प्रतिवादी संख्या 1, 2 की नवीन आ. सं. 934 के दक्षिण में अंकित कर दिया तथा प्रतिवादी संख्या 1, 2 की आ.सं. 934 को वादी के कब्जे काश्त की भूमि की जगह अंकित कर दिया जो गलत होकर अवैध है। वादी की आ.सं. 933 प्रतिवादी संख्या 1, 2 की आ. सं. 934 के पश्चिम में ग्राम आसूणा की सरहद से लगती हुई है। जिससे वादी की नवीन आ.सं 933 रकबा तीन बीघा को नवीन नक्शे में पुनः साबिक नक्शे एवं मौके की स्थिति के अनुसार ग्राम आसूणा की सरहद से लगती हुई प्रतिवादी संख्या 1, 2 की नवीन आ. सं. 934 रकबा तीन बीघा के पश्चिम में दर्ज करने की इन्द्राज दुरुस्ती की घोषणात्मक डिक्री वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरुद्ध जारी फरमाया फरमाई जाना न्यायोचित हो गया हैं। अतः श्रीमान् से सादर प्रार्थना है कि बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की इन्द्राज दुरस्ती की घोषणात्मक डिक्री सादिर फरमाई जाए कि ग्राम मोखुन्दा की नवीन आराजी संख्या 933 रकबा 3 बीघा को नवीन नक्शे में साबिक नक्शे एवं मौके की स्थिति के अनुसार नवीन आराजी संख्या 934 रकबा 3 बीघा के स्थान पर ग्राम आसुणा की सरहद से लगती हुई पंचकोणीय आकृति के रूप में दर्ज करने तथा आराजी संख्या 934 रकबा 3 बीघा को साबिक नक्शे एवं मौके की स्थिति के अनुसार ग्राम आसुणा की सरहद से लगती हुई वादी की भूमि के पूर्व में दर्ज करने का आदेश दिया जावे, तदानुसार प्रतिवादी संख्या 3 को नवीन को नक्शे में अमलदरामद कराने का आदेश प्रदान फरमाया जाए। साथ ही बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री फरमाई जाए कि प्रतिवादीगण वादी को उनके कब्जे काश्त की आराजी संख्या 933 रकबा 3 बीघा से जबरन बेदखल नही करे तथा वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावे तथा वादी को शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे यदि दौराने वाद प्रतिवादीगण वादी को बेदखल कर देंवे तो जरिए आदेशात्मक आज्ञा के पुनः कब्जा वादी को दिलाने का आदेश प्रदान फरमाया जाए।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को सम्मन जारी किये गये। सम्मन की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 के अधिवक्ता उपस्थित जिनको जवाब पेश करने कई अवसर प्रदान करने के बाद भी जवाब प्रस्तुत नही करने से जवाब बन्द किया गया एवं प्रतिवादी संख्या 3 फौरमल पक्षकार जिन्होने जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नही कर आपसी राजीनामा होने की बात कही गई और [illegible] अलग से लिखा गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.07.30 11:48:53 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार रायपुर प्रतिवादी संख्या 3 ने [illegible] जवाब में अंकन किया कि ग्राम मोखुन्दा की साबिक आराजी संख्या 733/3 रकबा 3 [illegible] वादी को आवंटन हुई। कब्जा सिपूर्द करते समय वादी को दक्षिण की ओर की तरफ गांव [illegible] सीमा तक पेमुद किया गया। नवीन भू माप में आराजी संख्या 733/3 रकबा 0.65 है0 कायम करते हुए नवीन खसरा नम्बर 933 दिये गये। वादी के साबिक नक्शे और वर्तमान नक्शे में भिन्नता है जिसे शुद्ध किया जाना उचित है।

प्रकरण 136 का होकर नक्शा शुद्वि से सम्बधित होने से तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट ली गई जो शामिल पत्रावली है।

तहसीलदार रायपुर की ओर से प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में अंकन किया कि ग्राम मोखुन्दा पटवार मण्डल मोखुन्दा में आराजी नम्बर 933 रकबा 0.65 हेक्टयर खातेदार गोपाल लाल पिता गेहरीलाल शर्मा निवासी आसुणा के नाम दर्ज रिकार्ड है। यह आराजी नम्बर 933 साबिक आराजी नम्बर 733/3 रकबा 3 बीघा का हाल नम्बर है। ग्राम मौखुन्दा में आराजी नम्बर 2337/934 रकबा 0.2025 किस्म गै.मु.आबादी खातेदार गोपाललाल पिता गेहरीलाल शर्मा निवासी आसुणा के नाम दर्ज है। आराजी नन्दर 2339/934 रकबा 0.2025 हेक्टयर किस्म गे.मु. आबादी खातेदार शंकरदास पिता मोहनदास बैरागी साकिन देवरीखेडा के नाम दर्ज रिकार्ड है। आराजी नम्बर 934 रकबा 0.2178 हेक्टयर किस्म हकत खातेदार प्रतिवादी चन्दा देवी पत्नि वेदराज 1/2 पोखरणा, पुष्पा देवी पत्न शान्तिलाल 1/2 पोखरणा साकिन देह के नाम दर्ज रिकार्ड है। आराजी नम्बर 2336/934 रकबा 0.0136 हैक्टयर किस्म गै.मु. रास्ता आराजी नम्बर 2338/934 रकबा 0.0136 हेक्टयर गै.मु. रास्ता बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज रिकार्ड है। आराजियात आराजी नम्बर 2336/934 रकबा 0.0136 हेक्टयर आराजी नम्बर 2337/934 रकबा 0.2025 हैक्टयर आराजी नम्बर 2338/934 रकबा 0.0136 हेक्टयर, आराजी नम्बर 2339/934 रकबा 0.2025 हेक्टयर, आराजी नम्बर 2338/934 रकबा 0.18 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2339/934 रकबा 0.2025 हैक्टयर व आराजी नम्बर 934 रकबा 0.2178 हेक्टयर कुल किता 05 कुल रकबा 0.65 हेक्टयर साबिक आराजी नम्बर 733/3 रकबा 3 बीघा के हाल नम्बर है। उक्त वर्णित सभी आराजियात ग्राम मौखुन्दा की आबादी से करीब 01 किमी० दूर ग्राम मौखुन्दा से ग्राम कोशीथल जाने वाली डामरीकृत सड़क के पास स्थित है। संलग्न राजस्व नक्शे में साबिक आराजी नम्बर 733/3 रकबा 3 बीघा को एवं साबिक आराजी नम्बर 733/2 रकबा 3 बीघा को हरी स्याही से दर्शाकर आराजी नम्बर का अकन हरी स्याही से अंकन कर रखा है। हाल आराजी नम्बर 933 रकबा 0.65 हैक्टयर के सम्पूर्ण भाग पर वादी खातेदार गोपाल लाल पिता गहरीलाल शर्मा निवासी आसुणा का कब्जा है। आराजी नम्बर 934 रकबा 0.2178 हैक्टयर में से हरी स्याही से आच्छादित भू–भाग पर करीब 0.1478 हेक्टयर पर वादी गोपाल लाल पिता गहरीलाल शर्मा निवासी आसुणा का कब्जा है इस आराजी नम्बर के शेष हिस्से पर करीब 0.07 हेक्टयर पर राजस्व नक्शे में लाल स्याही से आच्छादित भू–भाग पर प्रतिवादीगण एवं संबंधित खातेदार चन्दा देवी पत्नि वेदराज पोखरणा एवं पुष्पा देवी पत्नि शान्तिलाल पोखरणा का कब्जा है। साबिक आराजी नम्बर 733/2 रकबा 3 बीघा को साबिक नक्शे में साबिक आराजी नम्बर 733/3 रकबा 3 बीघा की पूर्वी दिशा में दर्शा रखा है। यह साबि[illegible] नम्बर 733/2 ग्राम आसुणा की सीमा से दक्षिणी दिशा में सटा हुआ [illegible] 733/2 रकबा 3 बीघा हाल आराजी नम्बर 933 रकबा करीब 0.16 [illegible] 935 रकबा 0.36 हेक्टयर, हाल आराजी नम्बर 942 रकबा 0.11 हैक्टयर [illegible] नम्बर 943 रकबा 0.02 हेक्टयर में संलग्न राजस्व नक्शे में हरी स्याही से दर्शाये अनुसार स्थित है। हाल साबिक आराजी नम्बर 933 एवं 942 वादी खातेदार गोपाल लाल पिता गहरीलाल शर्मा निवासी आसुणा के नाम आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.07.30 11:48:53 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर 935 प्रतिवादी खातेदार वेदराज पिता बसंतीलाल, शान्तिलाल पिता चान्दमल पोखरणा निवासी मौखुन्दा के नाम एवं आराजी नम्बर 943 खातेदारान चान्दी पत्नि गंगाराम वगैराह कलाल (जमाबन्दी खाता संख्या 237 अनुसार) के नाम दर्ज रिकार्ड है। साबिक आराजी नम्बर 733/3 रकबा 3 बीघा को साबिक नवशे में साबिक आराजी नम्बर 733/2 रकबा 03 बीघा की पश्चिमी दिशा में ग्राम आसुणा की सीमा से सटा हुआ दर्शाया गया है। यह साबिक आराजी नम्बर 733/3 रकबा 03 बीघा हाल आराजी नम्बर 933 रकबा करीब 0.25 हेक्टयर हाल एवं आराजी नम्बर 934 रकबा 0.2178 हेक्टयर, आराजी नम्बर 935 रकबा 0.06 हेक्टयर, आराजी नमबर 2338/934 रकबा 0.01 हेक्टयर आराजी नम्बर 2339/934 रकबा 0.10 हैक्टयर एवं आराजी नम्बर 0.01 हैक्टयर में संलग्न राजस्व नक्शे में हरी स्याही से दर्शाये अनुसार स्थित है। वादी साबिक आराजी नम्बर 733/3 रकबा 03 बीघा भूमि जिसे पंचकोणिय आकृति के रूप में हरी स्याही से दर्शा रखा है अपने नाम करवाना चाहते है।

तहसीलदार रायपुर के द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन उभयपक्ष अधिवक्ताओ को कराया गया। उभयपक्ष अधिवक्ताओ के द्वारा मौका रिपोर्ट का अवलोकन कर निवेदन किया कि दोनो पक्षो के मध्य इस प्रकरण में आपसी राजीनामा हो गया है। राजीनामे के अनुसार दोनो पक्ष अपने अपने नाम भूमि दर्ज कराना चाहते है जिसमें किसी भी पक्ष को कोई आपत्ति नही है। पक्षकारो के द्वारा प्रस्तुत राजीनामे को उभयपक्ष अधिवक्ताओ द्वारा प्रमाणित किया गया है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध साबिक एवं हाल रेकार्ड एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का गभींरता पूर्वक अध्ययन किया तो पाया कि वादी साबिक आराजी संख्या 733/3 रकबा 3 बीघा भूमि के खातेदार काश्तकार है एवं प्रतिवादी साबिक आराजी संख्या 733/2 के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार मौके पर काबिज है जो दोनो खातेदार उत्तर की ओर ग्राम आसुणा की सीमा तक काबिज है किन्तु नवीन भू प्रबन्ध के दौरान भू प्रबन्ध विभाग के अधिकारियो कार्मिको के द्वारा पक्षकारान के मौका स्थिति के अनुसार नवीन नम्बर कायम नही कर मौका स्थिति से विपरीत नम्बर राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर दिये गये है। नवीन राजस्व रेकार्ड में पक्षकारान के नाम दर्ज आराजियात के सम्पूर्ण रकबे पर काबिज नही होकर आंशिक भाग पर काबिज है। राजस्व जमाबन्दी में जो भूमि पक्षकारान के नाम दर्ज है उसी अनुसार राजस्व नक्शे में दर्ज नम्बरान पर खातेदारान का कब्जा होने पर ही रेकार्ड और मौके में एकरूपता रहती है जबकि इस प्रकरण में भू प्रबन्ध विभाग के द्वारा रेकार्ड और मौके की स्थिति में एकरूपता नही कर मौका स्थिति के विपरीत नम्बरदांजी कर नवीन नम्बर कायम कर दिये गये है जिससे पक्षकरान के मौका स्थिति अनुसार एवं [illegible] अनुसार भूमि दर्ज करते हुए इन्द्राज दुरस्ती की जाना है।

इसी अनुसार दोनो पक्षो के मध्य आपसी राजीनामा होकर प्रकरण में राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामे में अंकित किया कि वादी की आराजी संख्या 933 रकबा 0.65 है0 को नवीन नक्शे में मौका स्थिति के अनुसार आराजी संख्सा 933 मे से 0.22 है0 रकबा उत्तर से दक्षिण की ओर आराजी संख्या 942 से लगती हुई व आराजी संख्या 935 रकबा 1.08 है0 मे

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.07.30 11:48:53 IST
Reason: SelfAttested

से 0.43 है0 भूमि एल आकृति में आराजी संख्या 942 के उत्तर पश्चिम से लगती हुई कुल रकबा 0.65 है तरमीम करने में दोनो पक्ष सहमत है। प्रतिवादी की आराजी संख्या 935 रकबा 1.08 है0 को नवीन नक्शे में आराजी संख्या 933 को एल आकृति में करने के बाद शेष रकबा 0.65 है0 तथा आराजी संख्या 936 रकबा 0.43 है0 को मिलाते हुए कुल रकबा 1.08 है0 भूमि आराजी संख्या 935 को तरमीम करने में दोनो पक्ष सहमत है। आराजी संख्या 936 रकबा 0.43 है0 को नवीन नक्शे में आराजी संख्या 933 के रकबे में तरमीम करने का आदेश फरमाया जावे। इसी राजीनामे को स्वीकार कर इसी अनुसार डिक्री जारी कर रेकार्ड में इन्द्राज कराने का निवेदन किया गया। राजीनामा शामिल पत्रावली है।

उपरोक्त प्रकरण में वादवर्णित भूमि को लेकर दोनो पक्षो के मध्य कोई विवाद नही है और मौके पर जिस प्रकार उभयपक्ष काबिज है उसी अनुसार भूमि राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज कराने का निवेदन किया गया है जिससे प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाकर राजस्व रेकार्ड में मौका स्थिति के अनुसार भूमि पक्षकारो के नाम दर्ज करते हुए इन्द्राज दुररूती किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् दोनो पक्षो के मध्य आपसी हुए राजीनामे अनुसार ग्राम मोखुन्दा की आराजी संख्या 935 रकबा 1.08 है0 मे से 0.43 है0 भूमि (जो आराजी संख्या 933 के उत्तरी सीमा से एवं आराजी संख्या 942 की उत्तरी पश्चिमी सीमा से सटमा हो) वेदराज पुत्र बंसतीलाल पोखरणा एवं शान्तिलाल पुत्र चान्दमल पोखरणा के बजाय वादी गोपाललाल पिता गेहरीलाल के नाम व इसके बजाय आराजी संख्या 936 रकबा 0.48 है0 मे से इस न्यायालय द्वारा पूर्व में दिये गये रास्ते का रकबा 0.05 है0 भूमि को छोड़ते हुए शेष 0.43 है0 भूमि बिलानाम सरकार के बजाय वेदराज पुत्र बंसतीलाल पोखरना 1/2, शान्तिलाल पुत्र चान्दमल पोखरना 1/2 के नाम एवं आराजी संख्या 933 रकबा 0.65 है0 मे से 0.23 है0 भूमि (आराजी संख्या 942 से लगती हुई उत्तर से दक्षिण की ओर) वादी की रखते हुए शेष 0.43 है0 भूमि वादी गोपाललाल पिता गेहरीलाल के बजाय बिलानाम सरकार दर्ज करते हुए राजस्व नक्शे में तरमीम की जावे। इसी अनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 01.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

01/06/2022

(सुन्दरलाल बम्बोडा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

आसीन्द, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda

Date: 2022.07.30 11:48:53 IST

Reason: SelfAttested

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी:–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:–3/2015 (2015/00003) वाद पत्र

उनवान

1–गोपाललाल पिता गहरीलाल शर्मा निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1–चन्दादेवी पत्नि वेदराज पोखरणा निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–पुष्पादेवी पत्नि शान्तिलाल पोखरणा निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4–वेदराज पिता बसंतीलाल पोखरणा निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5–शान्तिलाल पिता चान्दमल पोखरणा निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् दोनो पक्षो के मध्य आपसी हुए राजीनामे अनुसार ग्राम मोखुन्दा की आराजी संख्या 935 रकबा 1.08 है0 मे से 0.43 है0 भूमि (जो आराजी संख्या 933 के उत्तरी सीमा से एवं आराजी संख्या 942 की उत्तरी पश्चिमी सीमा से सटमा हो) वेदराज पुत्र बंसतीलाल पोखरणा एवं शान्तिलाल पुत्र चान्दमल पोखरणा के बजाय वादी गोपाललाल पिता गेहरीलाल के नाम व इसके बजाय आराजी संख्या 936 रकबा 0.48 है0 मे से इस न्यायालय द्वारा पूर्व में दिये गये रास्ते का रकबा 0.05 है0 भूमि को छोड़ते हुए शेष 0.43 है0 भूमि बिलानाम सरकार के बजाय वेदराज पुत्र बंसतीलाल पोखरना 1/2, शान्तिलाल पुत्र चान्दमल पोखरना 1/2 के नाम एवं आराजी संख्या 933 रकबा 0.65 है0 मे से 0.23 है0 भूमि (आराजी संख्या 942 से लगती हुई उत्तर से दक्षिण की ओर) वादी की रखते हुए शेष 0.43 है0 भूमि वादी गोपाललाल पिता गेहरीलाल के बजाय बिलानाम सरकार दर्ज करते हुए राजस्व नक्शे में तरमीम की जावे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 01.06.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

01/06/2022
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.07.30 11:48:53 IST
Reason: SelfAttested